बिना ब्याह बच्चे जनो, बच्चों की संरक्षक बनो!

अरविन्द जैन

देश के मीडिया ने यह समाचार प्रमुखता से बताया-सुनाया–"अनब्याही मां अपने बच्चे की एकमात्र कानूनी अभिभावक है।" दरअसल जुलाई, 2015 में देश की सर्वोच्च अदालत के विद्वान न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की खंडपीठ ने 'ऐतिहासिक फैसला' सुनाते हुए कहा है कि "बिनब्याही मां को अपने बच्चों की संरक्षता ('गार्जियनशिप') के लिए, पिता की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। वह पुरुष (पिता) की सहमति के बिना भी, अपने बच्चे की कानूनन अभिभावक है। उसे बच्चे के पिता का नाम बताने के लिए, बाध्य नहीं किया जा सकता। बच्चे के हित में यह जरूरी है कि उसके पिता को नोटिस देने की आवश्यकता से छुटकारा दिया जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसे मामलों में न केवल मां का नाम ही काफी होगा, बल्कि बिनब्याही मां को बच्चे के बाप की पहचान बताने की भी कोई

जरूरत नहीं।"

अनब्याही मां (ईसाई) ने सदियों पुराने 'गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट' की उन प्रावधानों को चुनौती दी थी, जिनमें शादी न करने के बावजूद बच्चे की संरक्षता ('गार्जियनशिप') के मामले में बच्चे के पिता को भी शामिल करना जरूरी था। निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे अभिभावक बनाने का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा था कि एकल मां संबंधी उसके दावे पर, बच्चे के पिता को नोटिस जारी करने के बाद ही फैसला किया जा सकता है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब भी एक एकल अभिभावक या अविवाहित मां अपने बच्चे के जन्म प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करे, तो सिर्फ एक हलफनामा पेश किए जाने पर बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाए। न्यायमूर्तियों ने दुनिया भर के अनेक दीवानी और दूसरे न्यायाधिकार क्षेत्रों का हवाला, समान नागरिक संहिता, सरला मुद्गल केस, और विभिन्न देशों में प्रचलित कानूनी दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए कहा कि 'कोई सरोकार नहीं रखने वाले पिता के अधिकारों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण नाबालिग बच्चे का कल्याण है। ऐसे मामलों में जहां पिता ने अपनी संतान के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, उसे कानूनी मान्यता देना निरर्थक है। यह सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक के जन्म का पंजीकरण करने के लिए, आवश्यक कदम उठाए जाएं।

बदलते समय और समाज में मां ही अपने बच्चे की देखभाल के लिए सबसे बेहतर है और शब्द 'ममता' इस भाव को व्यापक रूप से व्यक्त करता है। लेकिन अदालत ने 'बच्चे द्वारा अपने माता-पिता की पहचान जानने के अधिकार की रक्षा' करते हुए, अपीलकर्ता से पूछताछ की, बेटे को पिता के नाम से अवगत कराने की आवश्यकता के बारे में भी बताया और तमाम विवरण के साथ 'बच्चे के बाप का नाम एक लिफाफे में सीलबंद कर दिया', जिन्हें न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बाद ही पढ़ा जा सकता है। कहना कठिन है कि ऐसा करते हुए न्यायमूर्तियों के अवचेतन में, 'पिता के प्रेत' कैसे और क्यों सक्रिय हो गए! यह फैसला एक समस्या को सुलझाने की कोशिश में, अनेक मसलों को उलझा देता है।

सच यह है कि पितृसत्तात्मक समाजों में, विवाह संस्था के 'अंदर' पैदा हुए बच्चे 'जायज़', मगर विवाह संस्था के बाहर (अनब्याही, विधवा या तलाकशुदा स्त्री से) पैदा हुए बच्चे 'नाजायज़' ('अवैध', 'हरामी' और 'बास्टर्ड') कहे-माने जाते हैं। न्याय की नज़र में, वैध संतान सिर्फ पुरुष की और 'अवैध' स्त्री की होती है। इसीलिए वैध संतान का 'प्राकृतिक संरक्षक' पुरुष (पिता) और 'अवैध' की संरक्षक स्त्री (अनब्याही, विधवा या तलाकशुदा मां) होती है। उत्तराधिकार के लिए वैध संतान और वैध संतान के लिए वैध विवाह होना अनिवार्य है। 'अवैध संतान' पिता की संपत्ति के कानूनी वारिस नहीं हो सकते। हां, मां की संपत्ति (अगर हो तो) में बराबर के हकदार होंगे। मतलब यह कि जो वैध और कानूनी है, वो पुरुष का और जो अवैध या गैर-कानूनी है, वो स्त्री का।

वैध-अवैध बच्चों के बीच यही कानूनी भेदभाव (सुरक्षा कवच) ही तो है, जो विवाह संस्था को विश्व-भर में, अभी तक बनाए-बचाए हुए है। वैध संतान की सुनिश्चितता के लिए—यौन-शुचिता, सतीत्व, नैतिकता, मर्यादा और इसके लिए स्त्री देह पर पूर्ण स्वामित्व तथा नियंत्रण बनाए रखना, पुरुष का 'परम धर्म' है। विसंगति और अंतर्विरोध देखिए कि भारतीय समाज में वैवाहिक पार्टनर के बीच ही यौन संबंध 'नैतिक' है, बाकी सब 'अनैतिक'। हालांकि कानून का 'नैतिकता' या 'अनैतिकता' से कोई लेना-देना नहीं है। विवाह-पूर्व वयस्क स्त्री-पुरुष द्वारा सहमति से यौन संबंध (या परस्पर सहवास) कोई कानूनन अपराध नहीं। आप कहते रहें 'अनैतिक'।

विवाह कानूनों की कॉमेडी कहूं या त्रासदी कि विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र की लड़की से विवाह दंडनीय अपराध है, पर यदि कोई 18 साल से कम उम्र का लड़का, 18 साल से कम उम्र की लड़की से विवाह करे, तो

न कोई कानूनी जुर्म है और न कोई सजा। भाड़ में गए 'बाल विवाह' कानून। सहमति से यौन संबंध की उम्र भी 18 साल है, मगर 15 साल से बड़ी उम्र की अपनी पत्नी से (जबरदस्ती) यौन संबंध 'बलात्कार' नहीं। विवाह तो 'पवित्र संस्कार' है और पति को अपनी पत्नी से बलात्कार का 'कानूनी अधिकार' है। ऊपर से हास्यास्पद प्रावधान कि विवाहित नाबालिग लड़की का संरक्षक उसका पति होता है, भले ही पति खुद नाबालिग हो।

कोई भी हिंदू स्त्री-पुरुष, पति-पत्नी के जीवित रहते, दूसरा विवाह नहीं कर सकता। **पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करे, तो ऐसा विवाह रद्द माना जाएगा। मतलब—यह कोई शादी नहीं, लेकिन दूसरे विवाह से पैदा हुए बच्चे, 'जायज़' माने-समझे जाएंगे।'** दूसरा विवाह दंडनीय अपराध लेकिन केवल तब, जब 'पहली पत्नी' या उसके पिता-माता, भाई-बहन-पुत्र या पुत्री आदि अदालत में शिकायत करें। पुलिस खुद चाहे तो भी, इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब ऐसे में महान भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की सीलनभरे घर में 'चुप्पी' या 'मौन व्रत' साधे बैठी रहे, तो समाजसेवी महिला संगठन या मर्दों द्वारा एकतरफा बने-बनाए 'कानून', क्या कर लेंगे?

एक पत्नी के रहते व्यक्ति, दूसरी शादी नहीं कर सकता (अगर पहली पत्नी को एतराज़ हो) ...मगर पुरुष (भले ही विवाहित हो) किसी भी अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा स्त्री (स्त्रियों) के साथ सहमति से यौन रिश्ते (सहजीवन) बना सकता है। मर्दों को कानूनन आज़ादी जो है। दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ, यौन-संबंध 'व्यभिचार' है (अगर उसके पति की सहमति या मिलीभगत नहीं है) लेकिन यदि पति (मालिक) भी सहमत हो तो, यह कोई अपराध नहीं। यानी आपस में पति-पत्नियां बदलना विधान-सम्मत है। पत्नी 'व्यभिचार' की शिकायत तक नहीं कर सकती। इसी कानून की छाया में ही तो, फल-फूल रहा है 'देह व्यापार'। वेश्या या 'काल-गर्ल' से यौन संबंध बनाना भले ही 'अनैतिक' हो, मगर पुरुष ग्राहक पर कोई अपराध नहीं। पकड़ी गई तो, वेश्या को ही जेल जाना होगा। कानूनी जाल-जंजाल में ऐसे और भी बहुत-से प्रावधान हैं, मगर उन पर फिर कभी...

जी हां! फिलहाल यही और ऐसा ही है हमारा कानून। पुरुषों की यौन कामनाओं के लिए कानून के तमाम 'चोर दरवाज़े' और उनके अवैध बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्याय मंदिरों के दरवाजे हमेशा खुले हैं। स्त्री सिर्फ अपने 'अवैध' बच्चों की अभिभावक या संरक्षक हो सकती है। सच कहूं तो पुरुषों ने अपने हित में कैसे-कैसे कानून बनाए हैं—पढ़-सोचकर ही डर लगता है। स्त्री के संदर्भ में भारतीय 'कानूनी जाल-जंजाल', किसी जानलेवा चक्रव्यूह से कम तो नहीं।
